सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A4-56(Pt-II)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

1 JAN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : दिसम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2016, दिनांक 07–11–2019 एवं पत्रांक–2010, दिनांक 07–11–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **'इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 10 किमी0 स्टोन, रूड़की–देहरादून हाईवे, रूड़की, जनपद–हरिद्वार'** को एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति, उ0त0वि0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **एम0बी0ए0 में 60 एवं एम0सी0ए0 में 30 सीटों की शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु** मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद नियामक संस्था/यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण आदेश जारी करेगी व तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी की अर्हता विषयक अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या–3470 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-56(Pt-II)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल।